न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 123/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		इंसाफ खान पुत्र सलीम खान जाति मुसलमान, निवासी बापू बस्ती नया कोहिनूर के सामने,चोपासनी मार्ग जोधपुर। फर्म आयशा ऑटो सर्विस कबीर नगर जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री राजकरण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह नाथावत उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 05.08.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी इंसाफ खान पुत्र सलीम खान निवासी बापू बस्ती नया कोहिनूर के सामने चौपासनी मार्ग, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 06 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल, 01 इलेक्ट्रिक कांटे को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.2025 को थानाधिकारी पु.थाना सूरसागर की सूचना एंव श्रीमान जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घन शहीदा दरगाह के सामने, कबीर नगर सूरसागर स्थित आयशा ऑटो सर्विस फर्म की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति इंसाफ खान पुत्र सलीम खान द्वारा मौके पर 06 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल, 01 इलेक्ट्रिक कांटे का उपयोग कर टैक्सियों में अवैध गैस रिफलिंग किया जाना पाया गया। मौके पर एक सिलेण्डर इलेक्ट्रिक कांटे के ऊपर रखकर रिफलिंग मशीन से जोडकर पाईप द्वारा टैक्सी आर.जे 19 पीबी 1236 से जुडा हुआ पाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

सप्लाई विविध प्रकरण 123/2025 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम इंसाफ खान पुत्र सलीम खान

मौके पर अवैध भण्डारित कर अवैध गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग करते पाए गये कुल 07 गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.सी.एल	10496T	15.5 कि.ग्रा.	26.0 कि.ग्रा.	10.5 कि.ग्रा.
2.	आई.ओ.सी.एल	17904S	15.5 कि.ग्रा.	22.7 कि.ग्रा.	07.2 कि.ग्रा.
3.	बी.पी.सी.एल	790666S	15.6 कि.ग्रा.	27.6 कि.ग्रा.	12.0 कि.ग्रा.
4.	एच.पी.सी.एल	361399	15.5 कि.ग्रा.	31.9 कि.ग्रा.	16.4 कि.ग्रा.
5.	बी.पी.सी.एल	70134P	17.2 कि.ग्रा.	33.6 कि.ग्रा.	19.4 कि.ग्रा.
6.	एच.पी.सी.एल	013055S	15.6 कि.ग्रा.	31.9 कि.ग्रा.	16.3 कि.ग्रा.
7.	आई.ओ.सी.एल	003011T	08.2 कि.ग्रा.	08.2 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.

उक्त 07 गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री को जब्त सरकार किया जाकर श्री प्रेमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम मैनेजर पवन गैस एजेन्सी, जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 07 गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री का अवैध भण्डारण कर गैस रिफलिंग में उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 06 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल, 01 इलेक्ट्रिक कांटे को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री राजकरण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच कुल 06 घरेलु गैस सिलेण्डरों 01 छोटे सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री को अवैध रूप से भण्डारित कर अवैद्य गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग लिया जाना पाया गया है, वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी टैक्सी में घरेलु गैस रिफलिंग करते हुए पाया गया, जो कि मौका फर्द पर हस्ताक्षर कर अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 06 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल, 01 इलेक्ट्रिक कांटे को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से जारी नोटिस दिनांक 16.06.2025 तामिलसुदा प्राप्त हुआ। सूचना प्राप्ति पश्चात अप्रार्थी स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह नाथावत द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण में बहस की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुसार उक्त फर्म पर अप्रार्थी के रिश्तेदारों द्वारा गैस सिलेण्डर बुकिंग की हुई होने के कारण, जब्तसूदा सिलेण्डर एजेंसी के माध्यम से रिफलिंग करवाने बाबत रखे गये थे। अप्रार्थी द्वारा अवैध गैस रिफलिंग कार्य नहीं किया गया है। उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी के रिश्तेदारों के बताते हुए प्रकरण का निस्तारण किए जाने का निवेदन किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

प्रकरण में विभागीय पेरौकार एंव अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, मौका फर्द एंव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का

अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौकास्थल पर अप्रार्थी द्वारा 06 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल, 01 इलेक्ट्रिक कांटे का उपयोग कर टैक्सियों में अवैध गैस रिफलिंग किया जाना पाया गया। वक्त जांच एक सिलेण्डर इलेक्ट्रिक कांटे के ऊपर रखकर रिफलिंग मशीन से जोडकर पाईप द्वारा टैक्सी वाहन आर.जे19 पीबी 1236 से जुडा हुआ पाया गया, मौका फर्द अनुसार पुछताछ में अप्रार्थी द्वारा टैक्सियों में अवैध गैस रिफलिंग कार्य किया जाना स्वीकार किया तथा मौका फर्द पर हस्ताक्षर किए गए। मौकाफर्द में उल्लेखित जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल करवाने पर एक छोटा सिलेण्डर खाली पाया गया एंव अन्य सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई जिससे अप्रार्थी अधिवक्ता का फर्म पर रिफलिंग हेतु सिलेण्डरों को रखे जाने का कथन संदेहास्पद है। वक्त बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त जब्तसूदा सिलेण्डरों के संबध में कनैक्शन दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। उपरोक्तानुसार मौके पर बिना वैद्य कनैक्शन के उक्त सिलेण्डरों एंव रिफलिंग सामग्री का पाया जाना स्पष्ट करता है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का अप्रार्थी द्वारा अवैध गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग किया गया है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 06 घरेलु गैस सिलेण्डर,01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल, 01 इलेक्ट्रिक कांटे को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 06 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल, 01 इलेक्ट्रिक कांटे को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, R.A.S)
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर